**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06, मथुरा**

सत्र परीक्षण सं०–269/2017

राज्य बनाम मुकेश आदि

**दिनांक–27.08.2025**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त मुकेश गिरी उपस्थित। शेष अभियुक्त प्रहलाद का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत। न्यायहित में स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 94क नियत है, जोकि अंतर्गत धारा–358 बी.एन.एस.एस. सपठित धारा–319 दं.प्र.सं.. पेश किया गया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी/विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 94क मय समर्थित शपथपत्र 95ख अंतर्गत धारा–358 बी.एन.एस.एस. सपठित धारा–319 दं.प्र.सं. पर बल देते हुए कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमा नामजद अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह, मुकेश पुत्रगण प्रहलाद सिंह, श्यामवीर पुत्र बलवीर व प्रहलाद सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासीगण ग्राम सिरिया की नगरिया थाना खैर जिला अलीगढ़ के विरूद्ध थाना नौहझील में धारा–307,323 भा.दं.सं. में दर्ज कराया गया था। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्तगण काफी प्रभावशाली व दबंग किस्म के है और उन्होने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर थाना नौहझील पुलिस को दबाव में लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्तगणों को लाभ पहुंचाने की मंशा से धारा–307 भा०दं०सं० का बिना कोई जांच किये लोप करा दिया। उपरोक्त मुकदमे मे विवेचना अधिकारी द्वारा वाद विवेचना अभियुक्तगण मुकेश पुत्र प्रहलाद सिंह व प्रहलाद सिंह पुत्र अंगद सिंह के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा०दं०सं० मे आरोपपत्र प्रस्तुत किया और दोषपूर्ण तरीके से नामजद अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, श्यामवीर पुत्र बलवीर की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता होने की पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी दोषपूर्ण तरीके से उनका नाम विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपपत्र मे सम्मिलित नहीं किया गया है। न्यायालय में प्रार्थी/वादी पी०डब्लू०–1 पूरन सिंह व पी०डब्लू०–2 चुटैल महाराज सिंह के ब्यान अंकित हो चुके है और उनके ब्यानो के आधार पर उक्त अपराध में अभियुक्तगण मुकेश पुत्र प्रहलाद सिंह व प्रहलाद सिंह पुत्र अंगद सिंह के साथ–साथ देवेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, श्यामवीर पुत्र बलवीर की संलिप्तता स्पष्ट प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा देवेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, श्यामवीर पुत्र बलवीर को अन्तर्गत धारा 358 बी०एन०एस०एस० के तहत तलब किये जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 94क अंतर्गत धारा–358 बी.एन.एस.एस. सपठित धारा–319 दं.प्र.सं. के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थनापत्र 100ख प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुकदमा वादी पूरन सिंह, महाराज सिंह, रनवीर उर्फ रन्नो एवं प्रेमपाल जो कि सत्र वाद सं०– 689/2013, धारा–307 भा०दं०सं०, थाना नौहझील, जिला मथुरा के मुकदमें में अभियुक्त है, उक्त लोगों ने घायल प्रहलाद सिंह एवं मुकेश को एकराय होकर तमंचा, लाठी, सरिया से घायल किया था। अ०सं० 141/2012 की गिरफ्तारी से बचने के लिये मुल्जिमान फरार थे, इसलिये अ०सं० 141 ए/2012 का मुकदमा थाने पर सीधे जाकर पंजीकृत नहीं कराया तथा न ही मजरूबी चिट्ठी प्राप्त की। दिनांक 07.05.2012 को तीन दिन बाद अज्ञात व्यक्ति को भेजकर बिना हस्ताक्षरित प्रार्थना पर, जिसमें घटना का दिनांक व समय कुछ भी अंकित नहीं है, उस प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी मांट से राजनैतिक प्रभाव से झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी पुष्टि जी०डी० कायमी से हो रही है, जहाँ पर मुकदमा वादी उपस्थित नहीं है तथा बिना हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र है। मुकदमा वादी ने बेईमानी, बदनीयति एवं षड्यन्त्र के तहत मुख्य परीक्षा के समय तहरीर पर हस्ताक्षर बनाये है, जिसके विरूद्ध मुकेश पुत्र प्रहलाद सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। विवेचक द्वारा श्यामवीर एवं देवेन्द्र की नामजदगी झूंठी पायी गयी एवं फायर करना सत्रवाद सं० 689 सन् 2013 के अभियुक्त रनवीर

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2025.08.28 17:50:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा पाया गया, इसलिये धारा–307 भा०दं०सं० का लोप कर दिया गया था। देवेन्द्र पुत्र प्रहलाद सिंह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, इसलिये बाहर रहकर कोचिंग कर रहा था, उसकी नियुक्ति असम राइफल में हो गयी है, प्रतिशोध एवं विद्वेष भावना से उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रथमदृष्टया श्यामवीर एवं देवेन्द्र के विरूद्ध विचारण हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है, सत्र वाद सं०– 689/2013 में अनावश्यक दबाव बनाने के लिये यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। अ०सं० –141/2012, थाना नौहझील के वादी प्रहलाद सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रनवीर सिंह ने तमंचे से मुकेश पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, फायर उसके भतीजे महाराज सिंह को लगा तथा मुकेश को भी छर्रा लग गया। अतः प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

प्रार्थी/वादी/अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से आरोप पत्र में नामित न किये गये प्रस्तावित अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह व श्यामवीर पुत्र बलवीर को उक्त अपराध में अभियुक्तगण के रूप में तलब किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा/रिपोर्टकर्ता पूरन सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी थाना मांट, जिला मथुरा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर के आधार पर संबंधित थाना पर मु०अ०सं० 141A/2012 अंतर्गत धारा–323,307 भा०दं०सं०, अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह, मुकेश, श्यामवीर व प्रहलाद के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना, अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह व श्याम वीर पुत्र बलवीर की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण अभियुक्तगण का नाम विवेचना से अलग किया गया और धारा–307 भा०दं०सं० का होना नहीं पाया गया। अभियुक्तगण मुकेश व प्रहलाद सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, आरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा ने अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध कथित अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये उनको विचारण हेतु आहूत किया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उनको अभियोजन अभिलेखों की प्रतियां दी गयी तथा अभियुक्तगण का उक्त अपराध, मु०अ०सं० 141A/2012 संबंधित एस.टी.नं. 689/2013 बनाम पूरन आदि एवं एस.टी.नं. 404/2013 धारा–307,504 भा.दं.सं. थाना नौहझील जिला मथुरा के मामले से संबंधित होने के कारण आदेश दिनांकित–18.03.2017 के माध्यम से अभियुक्तगण का प्रकरण सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण मुकेश गिरी व प्रहलाद के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा –323,504,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। तत्पश्चात अभियाजन की ओर से पी०डब्लू०–1 के रूप में वादी मुकदमा पूरन सिंह व पी०डब्लू०–02 महाराज सिंह तोमर को परीक्षित कराया गया। तत्पश्चात अभियोजन की ओर से 94 क प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –358 बी.एन.एस.एस. में उल्लिखित व्यक्तियों देवेन्द्र सिंह व श्यामवीर को तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

7. इस प्रकार जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में धारा –319 द०प्र०सं० सहपठित धारा–358 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत देवेन्द्र सिंह व श्यामवीर को विचारण हेतु तलब किये जाने का प्रश्न है, धारा 319 द०प्र०सं० सहपठित धारा–358 बी.एन.एस.एस. आपराधिक मामलों में पक्षकारों के बीच वास्तविक न्याय करने हेतु शक्ति प्रदान करती है, लेकिन उक्त शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिये कि पर्याप्त साक्ष्य से, जिस अपराध का विचारण किया जा रहा है, उसमें प्रस्तावित अभियुक्तगण की भागीदारी प्रदर्शित हो रही हो। अतः अब यहां पर यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र में उल्लिखित व्यक्तियों को अभियुक्तगण जिनका विचारण किया जा रहा है, के साथ विचारण हेतु तलब करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं?

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा–319 दं०प्र०सं० सपठित धारा–358 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के संबंध में ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2014 STPL(वैब)21 SC*** में यह अवधारित किया गया है कि "Power under Section 319 Cr.P.C is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate/ Session Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person from the evidence led before the Court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner. ...though only a primafacie case is to be established from the evidence led before the Court not necessarily tested on the anvil of cross examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than primafacie case as exercised at the time of framing of. charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***सर्बजीत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2009(66) SCC 32(SC)*** में इस आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "" Exercise of Jurisdiction under Section 319 CrPC- Court must be satisfied that there was strong suspicion- Extra-ordinary case has to be made out- Sufficient and cogent reasons required to be assigned by the Court satisfy the ingredients of the provision- Mere *ipse dixit* would not serve the purpose- Higher standard for purpose of forming an opinion to summon a person as an additional accused to be laid down to establish the ingredients of an extraordinary case for exercise of jurisdiction sparingly."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाल सूरज उर्फ सूरज सिंह व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य 2009(67)SCC 733(सुप्रीम कोर्ट) में इस आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ""Sec.319 CrPC- Summoning of a person not facing trial.....No possibility of recording a judgement of conviction against the appellant- He cannot be summoned to face trial under Sec.319 CrPC. "

वर्तमान वाद में वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 पूरन सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए, प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया है तथा प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, बल्कि यह कथन किया है कि मैं स्वयं एप्लीकेशन लिख कर ले गया था, सप्लीकेशन मेरे हस्तलेख नहीं थी कोई गांव के आदमी के हस्तलेख में एप्लीकेशन थी उसका नाम ध्यान नहीं है कौन से सी.ओ. साहव के यहां गया था। मुझे याद नहीं है। आगे कहा है कि तहरीर में मैंने घटना का दिनांक व समय लिखवाया था यदि उसमें नहीं लिखा है तो वजह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुकेश व प्रहलाद सिंह द्वारा हमारे व महाराज सिंह को फायर आर्म व लाठी डण्डों से कोई चोटे न पहुचाई हो। मैंने अपनी तहरीर में जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, अपनी तहरीर में लिखा था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने बयान में प्रस्तावित अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में सुसंगत कथन नहीं किये है। वहीं अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के शेष साक्षी पी०डब्लू०–2 महाराज सिंह तोमर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के बयान में कथन किया है कि जिस समय मैंने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चलाया उस समय मुझे किसी ने नहीं रोका और

न ही विरोध किया, उस समय खेत पर अभियुक्तगण मौजूद थे। ट्रैक्टर लेकर खेत जोतकर निकल रहे थे, उसी समय हमारे उपर हमला किया गया था, जिस स्थान से ट्रेक्टर लेकर निकल रहे थे और ट्रैक्टर मुल्जिमान ने रोका था मेरी जानकारी में नहीं कि वह स्थान दरोगा जी को दिखाया था या नहीं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में प्रस्तावित अभियुक्तगण का नाम नहीं लिया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर को देखा जाये तो, वादी द्वारा संबंधित थाना पर दी गयी, तहरीर में घटना की दिनांक व समय अंकित नहीं है, बल्कि थाने पर तहरीर दिये जाने का समय व दिनांक अंकित है तथा पत्रावली पर प्रस्तावित अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थित होने व घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई सम्पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तावित अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह व श्यामवीर सिंह को उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के रूप में तलब किये जाने का कोई न्यायोचित आधार उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी द्वारा अभियोजन की संस्वीकृति से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–358 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/वादी पूरन सिंह द्वारा अभियोजन की संस्वीकृति से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–358 बी.एन.एस.एस. का०सं० 94क निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति का.सं.100ख निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक–03.09.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा